फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उर्मिला देवी बनाम शंकरलाल

संख्या / वर्ष : 170 / 2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/8/19	यह वाद वादिया की फर्द से अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T.Act के तहत एड० श्री पुष्पेन्द्र शर्मा ने पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगणों की प्रति रजिस्टर्ड डाक द्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 3/10/19 को पेश हो।	उर्मिला
29/8/19	वादिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत दावा विड्रा किये जाने का पेश होने पर आज पेश हुई वादिया की पहचान उसके अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र शर्मा ने की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है वादी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुऐ वाद को इसी स्टेज पर खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। हमने प्रस्तुत वाद पत्र, विड्रा प्रार्थना पत्र व वादिया को सुना। सुनने के उपरान्त वादिया के वाद को विड्रा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती किया हो। वाद अंकित रजिस्टर से कम हो।	

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.02.27 13:41:08 IST
Reason: SelfAttested